

उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3

संख्या-1892/36-3-12

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2012

कार्यालय-जाप

मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या- 465/88 एम०सी० मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य तथा अन्य में दिनांक 10, दिसम्बर, 1998 को बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के संबंध में विशिष्ट आदेश पारित किये गये

2- उक्त विशिष्ट आदेशों के अनुपालन में श्री राज्यपाल प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल श्रमिकों/बाल बंधुआ श्रमिकों को अवमुक्त कराने एवम् उनका पुनर्यासन आदि किये जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स के गठन हेतु जारी शासनादेश संख्या- 550/36-03-09-8 (सा०)/98 दिनांक 25, मार्च, 1998 में तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किए जाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. अपर/उपपुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. उप/सहायक श्रमायुक्त	सदस्य
7. जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	दो सदस्य
8. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य

3- यह समिति जनपद में बाल श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन जनपद के खतरनाक प्रक्रिया वाले उद्योगों में पाये गये बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराकर उनके पुनर्वासन तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी।

4- टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी एवम् उक्त अवधि में किये गये कार्यों की रिपोर्ट शासन एवम् श्रम आयुक्त को उपलब्ध करायेगी।

5- टास्क फोर्स प्रत्येक माह चिन्हित / अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के परिवारों के आर्थिक पुनर्यासन की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न शहरी/ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सकें।

शैलेश कृष्ण

प्रमुख सचिव ।

संख्या-1892 (1)/38-03-12 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रमायुक्त)
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० (द्वारा श्रमायुक्त)

3. प्रमुख सचिव / सचिव, गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / शिक्षा / समाज कल्याण एवं नगरीय विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
6. समस्त सदस्यगण। (द्वारा श्रमायुक्त)
7. समस्त अपर / उपश्रमायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रमायुक्त)।
8. एन०आई०सी०/गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(राम निरंजन)
उप सचिव ।

कार्यलय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या 4849-5408/ बालश्रम/2012

दिनांक: 05/12/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।

समस्त अपर उप पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश

समस्त क्षेत्रीय उप सहायक श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश।

समस्त परियोजना अधिकारी जिल्ला नगरीय विकास अभिकरण (इडा)

(राम औत्तर श्रीवास)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कुते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।